

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कोटा

## समायोजन आदेश अध्यापक लेवल 1

श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक: प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर, दिनांक: 24.5.2017 एवं निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25.5.2017 के क्रम में निम्नानुसार उमावि/मावि में समन्वित उम्मीदवार/प्रावि के 6 डी से चयनित 3 बी के तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों को अध्यापक लेवल 1 के रिक्त पद पर समायोजन हेतु आयोजित परामर्श कैम्प में इनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इनका समायोजन नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में किया जाता है। इनका माह जून 2017 का वेतन समायोजित/पदस्थापित विद्यालय से ही आहरित होगा।

क्रस	6डी सूचीक्रमांक	नाम अध्यापक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	समायोजन उपरान्त पदस्थापन स्थान	विशेष वर्ग	लिंग	जन्मतिथि
1	839	चन्द्रकान्ता वैष्णव	रामावि बड़ोदिया	राउमावि म0न0। कोटा	विधवा	F	05.07.77
2	1007	निर्मला कुमारी	राउमावि रेलगाँव	राबामावि कन्नुवा कोटा	विधवा	F	10.6.63
3	1267	निर्मला राय	राउमावि रेलगाँव	रामावि सन्तोषीनगर क0ब0	विधवा	F	28.10.65
4	1415	शिमला कुमारी बैरवा	राउमावि नौताडा मालियान	रामावि पुलिसलाईन कोटा	विधवा	F	1.7.84
5	147	नीलू मंडौरा	राउमावि चौमा	राउमावि देवलीअरब कोटा		F	20.11.73
6	149	कृष्णा गौतम	राबाउमावि मण्डाना	राउमावि केशवपुरा कोटा		F	07.07.67
7	343	अनिता गुप्ता	राउमावि कैथून	राबाउमावि बल्लभनगर कोटा		F	20.02.72
8	390	सुषमान्जु जोशी	राउमावि विनायका	राउमावि केशवपुरा कोटा		F	08.03.70
9	541	मंजुलता शर्मा	राउमावि सुल्तानपुर	राबाउमावि बल्लभनगर कोटा		F	19.5.66
10	698	कमलेश मीणा	राउमावि चौमा	राउमावि वो0 नयापुरा कोटा		F	14.8.77
11	1138	लाडकंवर गोचर	राउमावि सुल्तानपुर	राउमावि शिवपुरा कोटा		F	25.1.80
12	99	मदनलाल बैरवा	राउमावि ख्यावदा	राबाउमावि अयाना ईटावा		M	10.07.72
13	193	प्रमोद शर्मा	राउमावि कैथून	राबामावि विनोबाभावे नगर कोटा		M	20.06.70

संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :

1. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को दें।
2. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है/लम्बे समय से अनुपस्थिति हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को दें।
3. पंचायत राज विभाग के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापक जिनका नियम 6डी के तहत चयन नहीं किया गया है उनको कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को दें।
4. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2011 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को दें।

समायोजित/पदस्थापित स्थान पर दिनांक: 14.06.2016 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। संबंधित संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण करने हेतु अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें। संबंधित संस्थाप्रधान इनके कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर संबंधित लेवल/विषय पर अपडेट करेंगे एवं इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

( श्रीमति एन्जिलिका पलात )  
जिला शिक्षा अधिकारी  
माध्यमिक कोटा  
दिनांक : 4.6.2017

क्रमांक: जिशिअ/मा/को/संस्था-1/3बी/2017/ 164  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, कोटा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्राशि कोटा।
6. समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
7. संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक।
8. वरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली।

( श्रीमति एन्जिलिका पलात )  
जिला शिक्षा अधिकारी  
माध्यमिक कोटा